

वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम — ऑपरेशनलाइंज ब्लड बैंक

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) — ब्लड बैंक के चिकित्सा पदाधिकारी का मानदेय बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) — A.8.1.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण —

21 FRU's में Blood Bank इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं संतोष मेडिकल संस्था के द्वारा कार्यरत है। 7 FRUs के Blood Bank संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर से नियमानुसार संचालित है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2011-12 में 6 नये ब्लड बैंक यथा अरवल, अररिया, बांका, सुपौल, पूर्वी चम्पारण, एवं शिवहर का संचालन किया जाना है। उपरोक्त ब्लड बैंक में अनुबंध के आधार पर एक विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (एम.डी. पैथोलॉजी) की नियुक्ति की जानी है। जिस Blood Bank का संचालन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं संतोष मेडिकल संस्था के द्वारा किया जा रहा है, वहां भी संबंधित एजेंसी के द्वारा एक विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (एम.डी. पैथोलॉजी) प्रत्येक ब्लड बैंक हेतु उपलब्ध करायी जानी है। जिसके लिये एजेंसी को निम्न सारणी के अनुसार संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा राशि निर्गत की जानी है। शेष Blood Bank में भी एक-एक विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (एम.डी. पैथोलॉजी) की नियुक्ति संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा अनुबंध पर की जानी है। जिसका भुगतान भी निम्न सारणी के अनुसार ही किया जायेगा।

इकाई राशि (रु० में) —

क्रम सं०	विवरणी	संख्या	छर	माह	राशि (3x4x5=6)
1	2	3	4	5	6
1	विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (एम.डी. पैथोलॉजी)	1	35,000/- प्रतिमाह	12	4,20,000/-
एक इकाई का एक वर्ष में संचालन हेतु कुल खर्च -----					रु० - 4,20,000/-

नोट : विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (एम.डी. पैथोलॉजी) उपलब्ध नहीं होने पर एम०बी०बी०एस० प्रशिक्षित / एम०बी०बी०एस० डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथोलॉजी से कार्य लिया जा सकता है। परन्तु उनका भुगतान सरकारी नियमानुसार किया जायेगा। उक्त मद में किये जाने वाले राशि का व्यय एजेंसी के साथ भी लागू होगा। अगर एजेंसी (इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी/संतोष मेडिकल) के द्वारा संचालित ब्लड बैंकों में एम०बी०बी०एस० प्रशिक्षित / एम०बी०बी०एस० डिप्लोमा इन क्लीनिकल पैथोलॉजी से कार्य लिया जा रहा है, तो उक्त चिकित्सक का भुगतान भी सरकारी नियमानुसार किया जायेगा।

वित्तीय दिशा निर्देशन — ब्लड बैंक के संचालन हेतु उपरोक्त विवरणी के अनुरूप उक्त मद में इसी दर से व्यय किया जाना है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम — डॉ एन० कौ० मिश्रा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नं० — 9470003022





